न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/33

1. प्रहलाद आत्मज शिशुपाल जाति मीणा ।
2. श्रीमती मनभर विधवा शिशुपाल मीणा ।
3. श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नी प्रहलाद मीणा ।
4. समर्ष बाई विधवा श्री लटूर मीणा ।
5. दूलीचन्द आत्मज धन्ना जाति मीणा ।
6. राजू आत्मज दूलीचन्द जाति मीणा ।
7. गणेश आत्मज किशना जाति मीणा ।
8. रामस्वरूप आत्म्ज किशना जाति मीणा निवासीगण ओहडी जैथल के0 पाटन जिला बून्दी।

——अपीलान्ट

बनाम

1. भंवर लाल महाजन जाति जैन (मृतक) जरियें कायममुकामान :—
   1/1. परिमिन्द्र कुमार आत्मज महावीर जैन
   1/2. महावीर आत्मज भंवर लाल जैन निवासीगण जैथल के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. उत्तमचन्द आत्मज भंवर लाल जैन निवासी बसंत बिहार दादाबाडी के आगे, कोटा ।
3. श्रीमती धापू बाई पत्नी श्री महावीर जैन पुत्री भंवर लाल निवीस दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 21.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मृतक भंवरलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम जैथल तहसील के0 पाटन की आराजी खसरा नम्बर 1658/3 रकबा 02 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि तिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करे, अतिक्रमण नहीं करे एवं वादी को उसके कब्जे काश्त में रूकावट नहीं डाले यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया गया हो तो उससे उसे बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पर वादी रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा को पढे बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय को स्वीकार करना चाहिए था । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट काबिज है । वादी रेस्पोडेन्ट ने अन्तर्गत धारा 188 का वाद प्रस्तुत किया है जो कब्जे के अभाव में चलने योग्य नहीं है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को कब्जे के केलेट्राल परपज हेतु नहीं मानकर वादीगण का दावा कब्जे के अभाव में उसके पक्ष में पारित करने में त्रुटि की है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त बिन्दू प्रतिवादीगण अपीलान्ट के पक्ष में तय किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 17.11. 2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार हैं और रिकॉर्डेड खातेदार अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी कच्चे कागज से क्रय करने की बात कही है जो गलत है । वादग्रस्त आराजी का वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा कभी भी बेचान नहीं किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में गवाह, बयान हुए हैं जिन्होंने भी वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा होना बताया है और वादी रेस्पोडेन्ट ने अपने वाद को साक्ष्य एवं दस्तावेज, गवाह, बयानों से पूर्णतया साबित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की

क त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार हैं । रिकॉर्डेड खातेदार द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अनुतोष चाहा है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी क्रय करने का कथन किया है और अपने कथनों की पुष्टि में सादा कागज पर लिखित विक्रय इकरारनामा पेश किया है अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2015 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा